Volume-9, No. 2 Aug.-2022, pp. Hin.01-06

बाल वैश्यावृत्तिः समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डा. मीना शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा,
समाजशास्त्र विभाग
वी0एम0एल0जी0 कॉलेज, गाजियाबाद उत्तर–प्रदेश भारत।

सार–
वैश्या शब्द हमारे समाज में स्त्री के सबसे पतित चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्तिगत विघटन का अत्यन्त ही घृणित रूप है, लेकिन प्रश्न यह है कि मानव इस पतित व घृणित रूप का चुनाव क्यों करता है? यौन इच्छा की पूर्ति के लिए परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था का जन्म और विकास हुआ। फिर मानव ने क्यों अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति हेतु समाज में अस्वीकृत वैश्यावृत्ति के साधन को विकसित किया जिसमें यौन सम्बन्ध तो हैं परन्तु जहाँ एक ओर भावनात्मक उदासीनता है वहीं इसे दूसरी ओर व्यवसाय के रूप में स्त्री द्वारा स्वयं के लिए यौन अनैतिकता और नैतिक तथा चारित्रिक पतन का कारण बना दिया जाता है। इसका सीधा कुठाराघात समाज की विवाह और परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर होता है। वैश्यावृत्ति के सम्बन्ध में यह भी सत्य है कि समाज का कोई अंग और इतिहास का कोई भी काल इस कुप्रथा के विहीन नहीं रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक वर्तमान काल तक कभी अप्सराएं व गणिकाएं तो कभी देवदासियाँ और नगरवधु तथा वैश्या के रूप में रही हैं। कालान्तर में नृत्यकला, संगीत कला एवं सीमित यौन सम्बंधों द्वारा जीवकोपार्जन में असमर्थ वैश्याएं बाध्य होकर अपनी जीविका चलाने हेतु इसे व्यवसाय के रूप में चलाने लगीं।

मुख्यशब्द– वैश्या, देवदासिया, सौन्दर्य वासना, वैश्यावृत्ति

भूमिका–

स्त्री जीवन शक्ति एवं सन्तुलन शक्ति है, स्त्री तो स्वयं प्रकृति है। स्त्री–पुरुष एक–दूसरे के सृजन के साथी हैं। समाज ने स्त्री का अलग–अलग युगों में विभिन्न रूपों में दोहन किया है, लेकिन प्रकृति ने स्त्री को सृजन क्षमता का जो उपहार देकर समाज में भेजा है वह अपनी इस क्षमता से समाज को धन्य करती है। इतिहास गवाह है कि स्त्री ने न केवल प्रजनन दायित्व अपितु समाज की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग किया है और आज भी कर रही है। भारत के अतिरिक्त (देवदासी प्रथा के रूप में) अन्य धर्मों और देशों में भी वैश्यावृत्ति की शुरूआत कई अलग–अलग रूपों और नामों के साथ हुई। एक सामाजिक बुराई होने के बावजूद भी इस रूढ़ि को खत्म करने का कोई गम्भीर प्रयास आज के इस पुरुषवादी सामाजिक सत्ता ने नहीं किया। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि केवल चीन ऐसा उदाहरण है जहाँ माओ के नेतृत्व में क्रान्ति के बाद इस बुराई के खिलाफ एक अभियान चलाया गया और वैश्याओं को समाज में समानता का स्थान दिया गया।

एक गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में दस लाख से भी अधिक बच्चे पूतिवर्ष देह व्यापार की दुनिया में जबरदस्ती धकेल दिये जाते हैं। भारत में इस समय 20 प्रतिशत से अधिक बाल वैश्याओं की संख्या है।

वैश्यावृत्ति और कलाओं में आदिकाल से ही एक अस्पष्ट सम्बन्ध बना रहा है क्योंकि सौन्दर्य और यौन आनन्द आपस में स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। यह सत्य नहीं है कि सौन्दर्य वासना को जागृत करता है, परन्तु प्लैटोनिक सिद्धान्त के अनुसार प्रेम द्वारा ही वासना जागृत होने की बात भी युक्ति संगत नहीं है, जब एथेन्स के एरियोपेगस के जजों के सम्मुख फिराइल ने अपने वक्ष–स्थल को आवरणहीन किया और रिहाई प्राप्त की, तब उसने वास्तव में पुरुषों को पवित्र विचार के बारे में सोचने की प्रेरणा दी।

समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में वैश्यावृत्ति को परिभाषित करना महत्वपूर्ण होगा–

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार–''वैश्यावृत्ति लेन–देन का मामला है जिसमें वैश्या किसी दूसरी पार्टी द्वारा धन या आर्थिक महत्व को किसी चीज के बदले सैक्स सेवा प्रदान की जाती है।''

Encyclopedia of Social Sciences ds vuqlkj, "Prostitution may be defined as the practice of habitual or intermittent sexual union more or less promiscuous, for mercenary in document."

वैश्यावृत्ति एक ऐसा अनैतिक यौन सम्बन्ध है जिसकी तुलना असभ्य स्तर की सभ्यता से किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वैश्यावृत्ति का प्रचलन सभ्य समाज के लोगों को असभ्य और बर्बर बना देता है। यह समस्या कम या अधिक सभी समाजों में पायी जाती है। वैश्यावृत्ति की तुलना कैंसर जैसी बीमारी से की गई है। जून 1958 में सोशयल वेलफेयन मैगजीन में वैश्यावृत्ति पर प्रकाशित एक लेख के अनुसार, "Like a cancer it is rooted deep in flesh and foncs of Society over centuries" इसका अर्थ है कि वैश्यावृत्ति रूपी सामाजिक बीमारी सदियों से चली आ रही है। जो बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका दुष्प्रभाव उतना ही गम्भीर होता है।[5]

जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं– यह हैं भारतीय समाज दर्शन। अत्यन्त प्राचीन काल से भारतीय समाज में स्त्री का स्थान और भूमिका महत्वपूर्ण रहे हैं। इतिहास से बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कैकई, मैत्रेयी, अपाला आदि स्त्रियाँ अपने गुणों और व्यक्तित्व से पुरुष से कहीं कम नहीं आँकी गईं। भारतीय नारी ने वैदिक काल से होते हुए धर्मशास्त्र काल, मुगलकाल और आधुनिक काल तक बहुत सारे उतार–चढ़ाव देखे, प्रत्येक काल में उसने अपनी उपस्थिति समाज के सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विकास, नेतृत्व, अर्थव्यवस्था, आन्दोलन क्रान्ति और स्वतन्त्रता प्राप्ति तक में बखूबी दर्ज करायी है। प्रश्न यह है कि क्या कारण रहा कि उसकी भूमिका में, योगदान व बलिदान में, ममता व दायित्वपूर्ति में–जो प्राचीन काल से आज तक उसका शोषण, उत्पीड़न, उसके प्रति अमानवीयता, अत्याचार और पीड़ा देने में पुरुष प्रधान समाज ने मनमानी कर कोई कसर नहीं छोड़ी और अनवरत आज भी कर रहा है।

महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ नारी को चरित्रार्थ करती हुई लिखी गई हैं–

यह आज समझ मैं पायी हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ।
अवयव की कोमल सुन्दरता लेकर मैं सबसे हारी हूँ।।

पुरुष प्रधान समाज में ही धर्म के नाम पर पति की चिता पर जिन्दा जला स्त्री सतीत्व का रूप धारण करती है, वैश्यालयों में पुरुष की कामवासना का माध्यम बनती है, पति के घर में पैरों की धूल, पैरों की जूती, चरणों की दासी, कुलटा, व्यभिचारिणी, चरित्रहीना, बदचलन और कम बुद्धि आदि न जाने कितनी हीन उपमाओं से विभूषित की जाती रही हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ पुरुष सत्तावादी समाज पर सटीक प्रतीत होती हैं।

''नरकृति शास्त्रों के सब बन्धन, हैं नारी को ही लेकर
अपने लिए सभी सुविधाएँ, पहले ही कर बैठे नर''

कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और लड़कियाँ तो लक्ष्मी, सरस्वती देवी का रूप और न जाने क्या उपमाएं बच्चियों को दी जाती हैं। ऐसे मूल्य–परम्पराओं वाले हमारे देश भारत में जो उम्र इन बच्चियों की खेलने की होती है, उनके बचपन को वैश्यालयों, गैस्ट हाउस, क्लब और फाइव स्टार होटलों में बेरहमी से रौंदा जाता है। यूँ तो वैश्यावृत्ति का इतिहास इस विश्व जितना ही प्राचीन है, लेकिन जहाँ तक बाल वैश्यावृत्ति का सम्बन्ध है इसमें तेजी उस समय आयी जब अमेरिकी सैनिक 1967 में वियतनाम के युद्ध में गये और उन्हें यौनाचार की आवश्यकता पड़ी। उस समय थाइलैंड से अमेरिका ने गुप्त समझौता किया कि उसके सैनिक जब तक वियतनाम में रहेंगे, वे मनोरंजन के लिए आते रहेंगे। इस समझौते का नाम रखा गया 'रेस्ट एण्ड रिलेक्सेशन'। चूँकि अमेरिकी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, थाइलैंड में स्कूली छात्राओं को इस कुकत्व के लिए आगे लाया गया। सरकार को तो डॉलर चाहिए थे, इसलिए एशिया के इस भाग में बाल–वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का बड़ा श्रेय थाइलैंड को जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक बच्ची को एक दिन में 20–20 ग्राहकों के साथ वैश्यावृत्ति के लिए विवश किया जाता है। प्रायः लोग एड्स से बचने के लिए बाल वैश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट यह तथ्य उजागर करती है कि दिल्ली में जी0बी0 रोड के अलावा गन्दी बस्ती (Slum Area) सेवानगर, रोहिणी, जहाँगीरपुरी, दक्षिणी दिल्ली व बहुत से गैस्ट हाउस और होटलों में नाबालिगों से धड़ल्ले से वैश्यावृत्ति करायी जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को इस धन्धे में लगाने के लिए लोग कानून का भी सहारा लेते

हैं, जिससे भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत अभिभावकों की सहमति से कानूनन बच्चे को गोद लेकर उनसे वैश्यावृत्ति करायी जाती है।

जैसे–जैसे युग बदल रहा है वैसे–वैसे समाज का चरित्र भी बदल रहा है और इसी के साथ वैश्याओं के मामले में भी बदल रही है ग्राहकों की माँग। अब ग्राहक वयस्क वैश्याओं के स्थान पर अबोध बच्चियों या किशोरियों की अधिक माँग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप आज बाल वैश्यावृत्ति काफी प्रचलन में है। वैश्याओं की बेटियाँ या फिर गरीब क्षेत्रों से भागकर या अपहरण करके लाई गई बच्चियाँ वैश्यावृत्ति में अधिक हैं। बाल वैश्यावृत्ति एक गम्भीर कानूनी अपराध तो है ही साथ ही समाज के मुँह पर तमाचा भी है। फिर भी बाल वैश्यावृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। अत्यन्त ही अमानवीय कृत्य है कि 10–12 वर्ष की बच्चियों को वैश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है जो अबोध अभी तक स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों से अन्जान हैं, सैक्स से मिलने वाले आनन्द का उन्हें पता ही नहीं होता। अगर नैतिकता की बात की जाए तो आज अधिक से अधिक सभ्य कहे जाने वाले समाजों में बाल वैश्यावृत्ति खूब पनप रही है। यूँ कहा जाए कि बाल वैश्यावृत्ति किसी भी समाज में मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव का ये कैसा विकास है, कैसी उन्नति जहाँ वह अमानवीय और संवेदनहीन होता जा रहा है।

'पर्यटन और बाल वैश्यावृत्ति' नामक अपने एक लेख में 'स्वप्निल भारत' ने पाया कि बाल वैश्यावृत्ति की माँग दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों से निकलकर हैदराबाद, बैंगलोर, मेरठ, लखनऊ, जयपुर और भोपाल जैसे छोटे शहरों और इसके आस–पास के कस्बाई इलाकों में भी तेजी से बढ़ने लगी है। यह सत्य है कि पर्यटन और बाल वैश्यावृत्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है और भी सत्य है कि कुछ पर्यटक तो सिर्फ बाल वैश्याओं की तलाश में ही पर्यटन करते हैं।

बदलते समाज में नैतिक मूल्यों के हावी हो जाने से भी समाज के सामूहिक चरित्र में गिरावट आती है। यह गिरावट नव–जागरण के बाद आयी स्त्रियों की शिक्षा–दीक्षा, आत्मनिर्भरता और उनकी विधान सम्मत ऊँची सामाजिक स्थिति में भी फिर से गिरावट लाने लगती है। उन्हें फिर से 'भोग्या' बना शोषित करने लगती है। पहले पश्चिम में यही हुआ, जिस अति का परिणाम है, वहाँ का अतिबादी 'नारी मुक्ति आन्दोलन', अब हमारे यहाँ भी यह स्थिति एक ओर नारी के पैरों में भटकन भर उसे भोग–सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर रही है दूसरी ओर इस अपमान–शोषण से मुक्ति के लिए आन्दोलन को जन्म दे रही है।

समाज में वैश्यावृत्ति का एक ऐच्छिक वर्ग भी पैदा हो गया है। 'इजी मनी' के लिए वैश्यावृत्ति को एक 'पार्ट टाइम' व्यवस्था के रूप में चुना जा रहा है। वैश्यावृत्ति का एक अत्यन्त लोकप्रिय और आसान तरीका समाज की शिक्षित महिलाओं और लड़कियों द्वारा अपनाया जा रहा है और वह है–''कॉल गर्ल'। इसका सरल सा अर्थ है–एक निश्चित और आकर्षक धनराशि पाने के लिए एक Phone Call पर स्वयं को सैक्स के लिए प्रस्तुत करना। वैश्यावृत्ति का यह वो रूप है जिसमें एक वैश्या का सम्पूर्ण वर्ग, उच्च शिक्षित उच्च रहन–सहन, समाज के जिम्मेदार पदों पर आसीन नगर की पॉश कॉलोनियों में रहने वाली स्त्रियाँ वैश्यावृत्ति में संलग्न हैं। नैतिक मूल्यों पर भोग–मूल्यों के हावी होते जाने और यौन चेतना के निरन्तर बढ़ते जाने से येन–केन प्रकारेण इच्छा पूर्ति की चाह से उपजा चारित्रिक स्खलन। कारण जो भी बताया जाए इसके पीछे स्वार्थ मूलक आजादी, परस्पर अहम का टकराव और निभाव की स्थितियों का बढ़ता अकाल मुख्य कारण है। सारी प्रगति के पीछे एक सुविचारित, सुनियोजित राष्ट्रीय–सांस्कृतिक नीति का अभाव है।

वैश्यावृत्ति से सम्बन्धित दूसरे देशों के कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना यहाँ महत्वपूर्ण होगा–पाकिस्तान में सैक्स उद्योग में नई भर्ती आमतौर पर विवाह के रास्ते ही होती है। पाकिस्तान में उच्च और मध्य वर्ग की वैश्यावृत्ति व्यापक और फैलता हुआ धन्धा है। पाकिस्तानी औरत विवाह करते ही पति की जायदाद बन जाती हैं। जहाँ पुरुष पैसे देकर पत्नी खरीदता है, देह व्यापार के धन्धेबाज औरत से शादी करके उसे बेच देता है।

जिन समुदायों में देह व्यापार लड़कियों के लिए एक कैरियर बनता जा रहा है उनमें सेवानिवृत्ति वैश्याओं की घर वापसी को अनुभवी शक्स की वापसी माना जाता है। उत्तरी थाइलैंड या नेपाल में तेरह साल की उम्र में घर छोड़ने वाली लड़कियाँ बीस से तीस की उम्र के बीच घर लौटती हैं। वे अपनी कमाई से की गई बचत और एच0आई0वी0 लेकर लौटती हैं। नेपाल की पहाड़ियों में जो समुदाय वैश्यावृत्ति को जीवन रक्षा के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं उनमें

भी लौटने वाली वैश्याओं का स्वागत किया जाता है बशर्ते उन्होंने परिवार की हालत सुधारने में मदद की हो। गरीबी से जूझते गाँवों में पहुँची अमीर वैश्याएँ यह आभास देती हैं कि देह बेचकर पैसा कमाना आसान है। उदाहरण के लिए थाइ दलाल नाबालिक लड़कियों के परिवारों को ऐसी औरतों से मिलाते हैं जो वैश्यावृत्ति में सफल होती हैं। ऐसी वैश्याओं में से तो कुछ यह नहीं चाहती कि उनका परिवार यह जाने कि परिवार की मदद करने के लिए उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ा है, वह नहीं चाहती कि उनका समुदाय उनकी यातनाओं के बारे में जानें। वे ग्राहकों की कभी न खत्म होने माँगों और न कह पाने में अपनी अक्षमता के बारे में नहीं बताना चाहतीं। वे शक्तिहीनता और भय के बारे में बात नहीं करना चाहतीं, शर्म और पीड़ा का सार्वजनिक स्वीकार उन्हें शर्मसार करेगा।

सामाजिक नफरत और अपमान दक्षिण एशिया की औरतों को वैश्यालयों में कैद करता है। खमेर में एक कहावत है कि–'मर्द सोना है, तो औरत कपड़ा'। यह अधिकांश एशियाई समाजों और वर्तमान तक पश्चिमी समाजों की मानसिकता का सूत्र है। 1993 में एक अध्ययन में एक कम्बोडियाई औरत ने इस कहावत की यह व्याख्या की है–''मर्द सोने के जैसे दिखते हैं जब सोना कीचड़ में गिरता है तो उसे निकालकर साफ किया जा सकता है, औरतें सफेद कपड़ों की तरह दिखती हैं, सफेद कपड़ा कीचड़ में गिरता है तो उसे फिर वैसा ही सफेद नहीं किया जा सकता।''

वैश्यावृत्ति के लिए पतित औरतों को दोष देने के सामाजिक आग्रह को ये औरतें आत्मसात् कर लेती हैं। ढ़ाका की एक बाल वैश्या ने अपनी भावनाएँ इस तरह से व्यक्त कीं, ''मैं अपनी किस्मत से बहुत नाराज हूँ अगर मेरी माँ ठीक होती तो उसने मेरी शादी कर दी होती और मुझे यह शर्म नहीं झेलनी पड़ती।'' एक कम्बोडियाई वैश्या ने मुझसे पूछा, ''मैंने पिछले जन्म में क्या किया था कि यह जन्म इतना खराब मिला।''

निसन्देह ही बाल वैश्यावृत्ति न केवल भारत की विकट समस्या है अपितु विश्व के कई देशों में यह समस्या मुँह फैलाए हुए है। वैश्यावृत्ति न केवल भारत में अपितु विश्व के बहुत से देशों में अनादि काल से चली आ रही है और यही कारण है कि वैश्यावृत्ति लम्बे समय से समाज की आवश्यकता बनी हुई है। सम्भवतः इसी कारण से इसका अस्तित्व विभिन्न समाजों में बना हुआ है तथा कुछ समाजों में संवैधानिक आधार भी प्राप्त है। लेकिन बाल वैश्यावृत्ति अपने आप में एक अनूठी समस्या है जो बच्चों से उनका बचपन छीनती है। इसके वित्तीय उद्देश्यों के लिए बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन और उल्लंघन है। वैश्यावृत्ति सबसे अधिक दक्षिण अमेरिका में प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, बंग्ला देश, ब्राजील, कम्बोडिया, भारत, कोलम्बिया, हंगरी, मलेशिया, मैक्सिको, नेपाल, न्यूजीलैंड, पेरू, फिलीपीन्स, ताइवान, थाईलैंड और यूक्रेन आदि देशों की समस्या है।

महात्मा गाँधी ने कहा था वैश्यावृत्ति समाज के लिए कलंक है, इसके बारे में सोचने पर भी मुझे पुरुष होने पर शर्म आती है। इसके विरुद्ध बहुत से विद्वानों का मानना है कि सम्भ्रांत घरों की नारियों की अस्मिता बचाने हेतु वैश्याओं का अस्तित्व जरूरी है। इसी सन्दर्भ में पादरी इनवीनास के अनुसार, ''एक महल में गन्दी नाली की जो स्थिति है वही समाज में वैश्याओं की है, नाली को बन्द कर दीजिए, आप पाएंगे कि सारा महल दुर्गन्ध युक्त होगा।'' परन्तु ऐसे विद्वान क्या यह बता सकते हैं कि अपने घरों की बहू–बेटियों की सुरक्षा हेतु क्या हमें दूसरे की बहु–बेटियों को इस नारकीय जीवन में धकेलने का अधिकार है।

वैश्यावृत्ति से जुड़े उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि भले ही बाल वैश्यावृत्ति दुनिया भर के बहुत से देशों में विभिन्न कारणों से प्रचलन में है लेकिन यह मानव समाज पर एक कलंक है। स्त्री का तिरस्कार है उसे केवल भोग्या बनाकर हम कितनी भी उन्नति कर लें, कितने भी सभ्य और आधुनिक क्यों हो जाएं... यह मानव से पशुता की ओर मानवीय मूल्यों का पतन है। जब तक समाज में वैश्यावृत्ति जिन्दा है उस समाज को समृद्ध कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।

किसी भी समस्या के अस्तित्व के पीछे छिपे कारणों को जान कर समस्या से निजात पाना सम्भव हो सकता है। अतः यहाँ बाल वैश्यावृत्ति के कारणों की चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। बच्चों की बुरी संगत, निर्धनता, यौन शिक्षा की कमी, परिवार वैश्याएं, बालिकाओं के साथ अनाचार एवं बलात्कार, अल्पायु में विवाह एवं परित्याग, मनोरंजन के सस्ते साधन एवं अज्ञानता, जाति बहिष्कार, बच्चों का घर से भाग जाना, बाल सुधार गृहों में क्रूरता तथा अत्याचार, पर्यटन व्यवसाय, कॉल गर्ल्स की माँग, धार्मिक अन्धविश्वास और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देह

व्यापार का आयात–निर्यात आदि वैश्यावृत्ति के विविध कारण हैं।

यह तो स्पष्ट है कि वैश्यावृत्ति एक गम्भीर सामाजिक समस्या है और इसके दुष्परिणाम भी अत्यधिक व्यापक हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वैश्यावृत्ति न केवल वैयक्तिक विघटन है अपितु सामाजिक और पारिवारिक विघटन का प्रत्यक्ष स्वरूप भी है। यह सामाजिक विघटन का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं पर इसके घातक प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। चारित्रिक एवं नैतिक पतन तथा मूल्यहीनता आज के समाज की विशेषताएँ वैश्यावृत्ति में सन्निहित हैं। यौन शोषण, वैश्याओं में चरित्र पतन, सामाजिक प्रतिष्ठा का पतन, आत्मक्षति, गुमनामी जीवन, बालिकाओं में गर्भाधान की समस्या, नशीले पदार्थों का सेवन, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास, अपराध एवं बाल–अपराधों में वृद्धि, यौन रोगों में वृद्धि और निम्न स्वास्थ्य स्तर आदि वैश्यावृत्ति के दुष्प्रभाव हैं।

इस व्यापक समस्या से छुटकारा पाने यानि बाल वैश्यावृत्ति को रोकने के उपायों की बात की जाए तो कहा जा सकता है महिला सुरक्षा एवं बाल वैश्यावृत्ति के विरुद्ध सरकारी कानून, अधिनियम एवं समय–समय पर होने वाले कानून संशोधनों से सम्बन्धित नियमों का सख्ती से पालन किये जाने के अतिरिक्त आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एक जनजाग्रति अभियान चलाया जाए, लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। चूँकि हमें स्वीकारना होगा कि वैश्यावृत्ति अथवा बाल वैश्यावृत्ति कानूनी अपराध से अधिक सामाजिक और नैतिक अपराध है। अतः सामाजिक चेतना को झकझोरने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज बाल वैश्वावृत्ति के प्रति संवेदनशील हो सके। बाल्यावस्था से ही बच्चों में यौन शिक्षा के साथ–साथ नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी इस दिशा में और अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। किसी एकाकी प्रयास से इस बुराई को नियन्त्रित कर पाना सम्भव नहीं है। अतः सरकार, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समाज का प्रबुद्ध एवं युवा पीढ़ी मिलकर पारस्परिक सहयोग से बाल वैश्यावृत्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है बाल वैश्यावृत्ति एक वैश्विक समस्या है जिसकी ओर अति गम्भीर होने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि ये बच्चे अपनी इच्छा से शायद ही इस वृत्ति में संलग्न होते हों। यदि यह सोचा जाए कि जो लोग देह व्यापार में इन बच्चों को धकेलते हैं उनको कठोर दण्ड देकर इस बुराई को दबाया जा सकता है तो यह पूर्णतया सत्य नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। स्त्रियों के आत्मविश्वास, गौरव और सम्मान को बचाने में महिला जाति के साथ–साथ पुरुष की भी अहम भूमिका है। यदि एक स्त्री का शोषण होता है तो स्त्री को डर कर नहीं अपितु पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को बुलन्द करना होगा और उसके साथ कम से कम सौ पुरुषों को उसकी आवाज बनना होगा तब कहीं सदियों से चली आ रही इस घृणित अमानवीय प्रथा को दूर करना तो नहीं कम करना अवश्य सम्भव हो पायेगा। पुरुष को इन अबोध बच्चियों की पीड़ा, भय और मानसिक–मनोवैज्ञानिक स्थिति का अहसास कर स्वयं को संवेदनशील बनाना होगा। पुरुष पिता, पुत्र एवं भाई के रूप में स्वयं में दया, परोपकार और मानवीय मूल्य विकसित करके ही इस घृणित प्रथा को नियन्त्रित करने में योगदान दे सकते हैं। अन्त में कहना चाहूँगी कि यह आज का कटु सत्य हमें स्वीकारना होगा कि एक वैश्या माँ, पत्नी, बहन, दोस्त या मित्र किसी भी रूप में हममें से किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी हम इतने उन्नतिशील बन जाएं कि भारतीय नारी को वैश्या के रूप में स्वीकारना हमारे लिए सामान्य–सी बात होगी।

सारांश– स्त्री जीवन शक्ति एवं संतुलन शक्ति है, स्त्री तो स्वयं प्रकृति है, स्त्री–पुरुष एक–दूसरे के सृजन के साथी हैं। समाज ने स्त्री का अलग–अलग युगों में विभिन्न रूपों में दोहन किया है, लेकिन प्रकृति ने स्त्री को सृजन क्षमता का जो उपहार देकर समाज में भेजा है वह अपनी इस क्षमता से समाज को धन्य करती है और आज भी कर रही है। प्रश्न यह है कि मानव ने अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार से इतर वैश्यावृत्ति जैसे घृणित साधन को क्यों चुना? वैश्यावृत्ति एक ऐसा अनैतिक यौन सम्बन्ध है जिसकी तुलना असभ्य स्तर की सभ्यता से किया जा सकता है। वैश्यावृत्ति एक वैश्विक समस्या है जिसने परिवार एवं विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर आघात किया है। प्रस्तुत

पत्र का उद्देश्य बाल–वैश्यावृत्ति को एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में तथा सामाजिक समस्या के रूप में इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना है। भारत के अतिरिक्त विभिन्न एशियाई देशों तथा पश्चिमी देशों में यूरोप सहित दुनिया के अधिकांश देशों में बाल–वैश्यावृत्ति आज प्रवलन में है। भारत में बाल–वैश्वावृत्ति की बात की जाए तो इससे सम्बन्धित अध्ययन बताते हैं कि बाल वैश्याओं की मांग दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों से निकलकर जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, बैंग्लौर, मेरठ, लखनऊ आदि छोटे शहरों और इसके आस–पास के कस्बाई इलाकों में भी तेजी से बढ़ने लगी है। पत्र में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, वियतनाम और कम्बोडिया आदि देशों में बाल–वैश्यावृत्ति से सम्बन्धित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। बाल–वैश्यावृत्ति के कारणों में अन्य कारणों के अतिरिक्त धार्मिक अंधविश्वास, निर्धनता, बच्चों का घर से भाग जाना, पर्यटन व्यवसाय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देह व्यापार का आयात–निर्यात आदि प्रमुख कारण बताये गये हैं। साथ ही इसके गम्भीर दुष्परिणामों जैसे–वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। चूँकि बाल–वैश्यावृत्ति निःसंदेह ही अबोध और मासूम बच्चियों के विरुद्ध एक कानूनी और सामाजिक अपराध है, उनकी पीड़ा, दर्द, भय और मानसिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति का एहसास समाज महसूस करें, यह चेतना जाग्रत करने का संदेश व प्रयास प्रस्तुत पत्र के माध्यम से किया गया है।

संदर्भ–

1. ब्राउन, लुइज (अनुवादक कल्पना वर्मा), यौन दासियाँ–एशिया का सैक्स बाजार, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, 2005, पृ0 सं0 68
2. वही, पृ0 सं0 201–203
3. वही, पृ0 सं0 211–245
4. Encyclopedia of the Social Sciences "Prostitution" Vol. XI and XII, Page No. 553
5. झनकाट, एच0डी0, महिला उत्पीड़न एवं समाज, रावत प्रकाशन, 4264/3, दरियागंज, नई दिल्ली, 2015 पृ0 सं0 28
6. खेतान, प्रभा, स्त्रीः उपेक्षित (एक अध्ययन) अजन्ता प्रिंटर्स–1/84, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032, 1990, पृ0 सं0 254
7. शेण्डे, हरिदास राम जी सुदर्शन, नारी उत्पीड़न समस्या एवं समाधान, ग्रन्थ विकास, राजा पार्क, जयपुर, 2007, पृ0 सं0 69–70
8. शर्मा, नरेन्द्र कुमार, महिला अपराध और कानून, ओमेगा पब्लिकेशन, जे0एम0डी0 हाउस, अंसारी रोड, नई दिल्ली–110002, 2011 पृ0 सं0 177–178
9. शर्मा, प्रज्ञा, महिलाएं, लैंगिक असमानता एवं अपराध, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ0 सं0 01
10. शर्मा, प्रज्ञा, महिलाएं, लैंगिक असमानता एवं अपराध, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ0 सं0 119–120
11. श्रीवास्तव सुधा रानी, महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, अंसारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली–110002, 2004 पृ0 सं0 92
12. सुप्रिया, विश्व समस्या : बाल वैश्यावृत्ति, कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2005, पृ0 सं0–12–13
13. व्होरा, आशा रानी, नारी शोषण : आइने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23 दरियागंज, नई दिल्ली–110002, 1982, पृ0 सं0 66